न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथराम ,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13 / 2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
मोबताराम पुत्र नरूजी जाति विश्नोई निवासी कोटड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर		1. मलाराम पुत्र मगाराम कौम देवासी निवासी कोटड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर 2. भूमिधारी तहसीलदारजी रानीवाड़ा

अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 राजपेरोकार।

निर्णय

दिनांक – 25.01.2024

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा कोटड़ा तहसील रानीवाड़ा में प्रार्थी का खेत खसरा नंबर 821 व 822 रकबा क्रमशः 0.78 व 2.30 हेक्टेयर की आराजी आयी हुई है। उक्त खातेदारी आराजी का प्रार्थी एक मात्र खातेदार है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 821 व 822 में आवागमन हेतु कोई आम रास्ता उपलब्ध नहीं है। आम रास्ते के अभाव में प्रार्थी की खातेदारी आराजी में खेत की जुताई करने तथा निराई व गुडाई करने हेतु टैक्टर सहित कृषि यंत्र को लाने व ले जाने में भारी असुविधा होती है। कृषि यंत्र लाने ले जाने के अभाव में कभी कभी खेत जुताई करने से भी वंचित रह जाता है। इसलिए प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 821 व 822 में आने जाने तथा कृषि उपकरण को लाने ले जाने की अत्यधिक आवश्यकता रहती है, इसलिए प्रार्थी को धारा 251'क' के तहत रास्ता दिया जाना न्याय हित में होगा।

   प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए सबसे नजदीक का रास्ता खसरा नंबर 750 की आराजी में से होकर रास्ता खेत तक पहुंचता है। खसरा नंबर 750 के खातेदार को कई बार रास्ता देने के लिए कहा लेकिन उक्त खातेदार ने रास्ता देने से स्पष्ट मना कर दिया। इसलिए प्रार्थी की ओर से रास्ता दिये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी 20 फीट चौड़ाई का रास्ता चाहता है ताकि रास्ते पर से ट्रेक्टर टोली इत्यादी लाने ले जाने व खेत में पड़ी अनाज की बोरियों तक बड़े ट्रक का आवागमन हो सके। प्रार्थी द्वारा मांग किये जाने वाले रास्ते में जितनी आराजी रास्ता प्रयोजनार्थ ली जाती है उक्त आराजी का प्रार्थी नियमानुसार डी.एल.सी वैल्यु अनुसार राशि अदा करने हेतु सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु अतिरिक्त रास्ता दिये जाने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:40:00 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब मय रिपोर्ट पेश की गई।
3. अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत जवाब मय रिपोर्ट के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी मोबताराम पुत्र नरूजी कौम विश्नोई साकिन कोटड़ा के खसरा नंबर 821 व 822 क्रमशः रकबा 0.78 हैक्टेयर व 2.30 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.08 हैक्टेयर भूमि के खातेदार है उक्त खसरे में पहुंचने हेतु राजस्व रेकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी के खसरा नंबर 821 व 822 हेतु प्रस्तावित निकटतम रास्ता के मध्य आने वाला खसरा नंबर 748, 749, 750, 751 रकबा क्रमशः 0.56, 0.03, 3.61, व 1.17 हेक्टेयर किस्म क्रमशः खसरा नंबर 749 गे.मु ढाणी व अन्य खसरा की किस्म बारानी दोयम है। उक्त भूमि खातेदार मलाराम पुत्र मगाराम कौम देवासी साकिन दांतवाड़ा के नाम है। उपरोक्त खसरा नम्बर 821, 822 में आवागमन हेतु नजदीकतम मार्ग सरकारी रेकर्ड रास्ता खसरा नंबर 733 गे.मु. रास्ता है। यदि खसरा नंबर 750 के पूर्वी माठ से यदि रास्ता प्रस्तावित किया जाता है तो उसकी कुल दूरी 160 मीटर होती है। परन्तु उक्त खसरे के प्रस्तावित रास्ते में पक्का निर्माण एवं भूमिगत जल हेतु टांका बना हुआ है। जो माठ से निर्माण लगता है। साथ ही यदि खसरा नंबर 750 के पश्चिमी माठ से रास्ता प्रस्तावित किया जाता है तो पश्चिमी माठ के रास्ते की कुल लंबाई 198 मीटर की होती है। एवं उक्त दूरी के मध्य में एक खसरा 749 किस्म गै.मु. ढाणी आता है। प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 750 के मध्य से प्रस्तावित रास्ता चाहा गया है। जो जांच रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 750 के खेत के मध्य से सबसे कम दुरी है। उक्त प्रस्तावित भूमि मौके पर वर्तमान में खाली है। प्रस्तावति मार्ग की लम्बाई चौडाई क्रमश 136 व 6 मीटर कुल क्षैत्रफल 816 वर्गमीटर है।
4. अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार रानीवाडा की जांच रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आपत्ति करते हुए प्रार्थना पत्र बाबत निष्पक्ष मौका रिपोर्ट मंगवाने तथा मौका निरीक्षण करने का पेश किया गया जो बाद सुनवाई दिनांक 17.02.2022 को प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में पेश की गई, जो निगरानी/टीए/819/2022 मलाराम बनाम मोबताराम अनवान से दर्ज की जाकर दिनांक 18.01.2023 को निर्णित की गई। निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) अधिनियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने का आदेश दिया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार रानीवाडा से पत्रांक/कोर्ट/2023/19 दिनांक 31.07.2023 से पुनः जांच रिपोर्ट मंगवाई गई।
5. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पत्रांक 447 दिनांक 20.09.2023 से जांच रिपोर्ट पेश कि गई, जिसके तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 821 व 822 है। जिनमें आवागमन के लिए कोई सरकारी कटान रास्ता नही हैं, तथा रास्ते की अति आवश्यकता है। उपरोक्त खसरा नम्बर में आवागमन बाबत नजदीकी सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 733 भूमि किस्म गै.मु. रास्ता है। उपरोक्त खसरा नम्बर बाबत प्रस्तावित रास्ता, मौका अनुसार खसरा नम्बर 749 व [illegible] गुजरना बताया गया है। उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई व [illegible] 750 में क्रमश 10 × 6 व 190 × 6 मीटर है जिनसे [illegible] का रकबा क्रमश 60 व 1140 वर्गमीटर यानि प्रस्तावित रास्ते का कुल रक[illegible] 1200 वर्गमीटर बनता है। जिनकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:40:00 IST
Reason: Self Attested

डीएलसी अनुसार प्रतिकर राशि 70600 बनती है। मौका–अनुसार प्रस्तावित मार्ग में कोई निर्माण कार्य व वृक्ष, पहाड, नदी, नाले इत्यादि नही है। प्रार्थी के रूबरू उक्त जांच रिपोर्ट तहरीर की गई। अप्रार्थी नोटिस देने कि बावजुद अनुपस्थित रहा।

6. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.2023 को अदालत में अप्रार्थी मलाराम को नोटिस दिये बिना प्रार्थी को रास्ता देने बाबत मौका रिपोर्ट प्रस्तावित कर पेश की है तथा उक्त मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी को नोटिस देने की बात गलत अंकित की है। उक्त मौका निरीक्षण से पूर्व अप्रार्थी का कोई नोटिस तामील नही करवाया गया। यहां यह वर्णित किया जाना भी उचित होगा कि तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 20.09.2023 को अदालत में पेश रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिये जाने की अवस्था में अप्रार्थी की आराजी जो कि एक चक में है, जिसके खसरा नम्बर 751, 749, 750 है, दो भागों में विभाजित हो जायेगी, जिससे अप्रार्थी को काश्त करने में भारी असुविधा होगी तथा उक्त रिपोर्ट में अंकित मार्क ए से बी स्थान से रास्ता दिये जाने जाने की अवस्था में सरकारी रास्ता नजदीकतम दूरी पर होने का भी गलत कथन उक्त रिपोर्ट में मौके के विपरीत किया गया है। प्रार्थी, तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पेश रिपोर्ट दिनांक 20.09.2023 अनुसार रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रार्थी के प्रभाव में उक्त रिपोर्ट की है। किसी खातेदार को रास्ता उपलब्ध करवाने के प्रावधान अन्य खातेदार को असुविधा देने के पक्ष में नहीं है। जवाब के संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ में लाल रंग से दर्शित स्थान से खसरा नम्बर 745, 746 की आराजी में से प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाया जाना उचित है। नक्शा परिशिष्ट अ अनुसार रास्ता प्रार्थी को देने पर बीच में कोई निर्माण भी नही हैं तथा किसी पक्ष को असुविधा भी नही होगी एवं निकटतम दूरी पर रास्ता भी पडेगा। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 मलाराम की आराजी खसरा नम्बर 750, 751 में से आवागमन हेतु रास्ता प्राप्त करने का कतई अधिकारी नही है। उक्त आराजी में से प्रस्तावित जगह से रास्ता दिये जाने की अवस्था में अधिक दूरी पर रास्ता स्थित हैं, जिससे अप्रार्थी मलाराम की अधिक आराजी रास्ते में जायेगी तथा मुआवजा भी अधिक देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी मलाराम की आराजी खसरा नम्बर 750, 751 में से प्रस्तावित रास्ता बाबत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमावें।

7. दिनांक 23.01.2024 को उभयपक्ष के विद्वांन अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वांन अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार रानीवाडा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को रास्ते की अति आवश्यकता होने से अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 749 व 750 मे सें तहसीलदार रानीवाडा की रिपोर्ट में नजरी नक्शे अनुसार रास्ता देने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वांन अधिवक्ता द्वारा जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा उचित समझे तो अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 751 की पश्चिम व दक्षिणी माठ एवं खसरा नम्बर 750 की दक्षिणी माठ के सहारे – सहारे प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 821 में आवागमन हेतु रास्ता दिया जाता तो अप्रार्थी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के निवेदन पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। उभयपक्ष अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 751 के पश्चिम व दक्षिणी माठ एवं 750 की दक्षिणी माठ के सहारे – सहारे प्रार्थी को रास्ता दिये जाने पर सहमति व्यक्त की गई व आदेशिका पर सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:40:00 IST
Reason: SelfAttested

8. हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी की खातेदारी आराजी मौजा कोटड़ा के खसरा नम्बर 821 व 822 रकबा क्रमश 0.78, 2.30 हैक्टेयर आराजी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थी की उक्त आराजी में आवागमन हेतु कोई रेकॉर्डेड रास्ता नही है। जिसे आवागमन हेतु रास्ते की अति आवश्यकता है। इसी ग्राम में खसरा नम्बर 749, 750 व 751 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थी के उक्त खसरों के आवागमन हेतू नजदीकतम मार्ग सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 733 किस्म गै. मू. रास्ता है। सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 733 में से अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 749, 750 व 751 में से प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु रास्ता दिया जा सकता है। खसरा नम्बर 751 की पश्चिम व दक्षिणी माठ एवं खसरा नम्बर 750 की दक्षिणी माठ पर रास्ता देने की आराजी के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी सहमति दी गई। उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

–: आदेश :–

9. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के खसरा नम्बर 821 व 822 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 751 की पश्चिम व दक्षिणी माठ एवं खसरा नम्बर 750 की दक्षिणी माठ के सहारे – सहारे 6 मीटर चौड़ाई का रास्ता दिया जाता है। जो आगे खसरा नम्बर 733 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से जोडता है। तहसीलदार रानीवाड़ा अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 751 के पश्चिम व दक्षिणी माठ एवं खसरा नम्बर 750 की दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे 6 मीटर चौड़ाई का रास्ता में आने वाली आराजी की वर्तमान डीएलसी दर से गणना कर आने वाली राशि की दुगुनी प्रतिकर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से अनुसार अदा करने हेतु प्रार्थी से मंगवाकर भुगतान करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेश दिया जाता है। प्रार्थी द्वारा डिमाण्ड़ ड्राफ्ट से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी करवा कर पेश करने पर अप्रार्थी संख्या 1 को प्रतिकर की राशि का भुगतान करे तथा भुगतान की पार्वती इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से भूगतान हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट पेश करने पर तहसीलदार रानीवाड़ा खसरा नम्बर 751 की पश्चिम व दक्षिणी माठ एवं खसरा नम्बर 750 की दक्षिणी माठ के सहारे – सहारे 6 मीटर चौड़ाई का सरकारी रास्ता राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करें तथा उक्त रास्ते की नक्शा लट्ठा मे तरमीम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रानीवाड़ा को पालना हेतु भेजी जावे।

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:40:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला जालोर